

25

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना/स्कीम का स्थान
- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
 - (ii) जिला
 - (iii) वन प्रभाग
 - (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
 - (v) वन की कानूनी स्थिति
 - (vi) हरियाली का घनत्व
 - (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0 मीटर भी संलग्न किए जाए
 - (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
 - (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
 - (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)
- गेल इण्डिया लि0,
झांसी-औरया-फूलपुर, गैस पाइप लाइन निर्माण
 - उत्तर प्रदेश
 - झांसी
 - झांसी वन प्रभाग, झांसी
 - 0.01516 है0 संरक्षित वनभूमि
 1. झांसी-शिवपुरी मार्ग किमी0 सं0 1374 से 1375 के मध्य-66.30वर्गमी0
 2. झांसी-ग्वालियर मार्ग किमी0 सं0 91 से 92 के मध्य-88.32वर्गमी0योग - 151.62 वर्ग मी0
अथवा - 0.01516 है0
 - संरक्षित वनभूमि
 - 0.30
 - संलग्न है
 - भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
 - शून्य
 - प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर का भाग नहीं है

- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दे । - नहीं है
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । - नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है - प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं है
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - जालौन सा0वा0 वन प्रभाग, उरई जालौन में वनीकरण किया जाना प्रस्तावित है
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार - प्रतिपूरक वृक्षारोपण (उरई) वन प्रभाग, जालौन में किया जायेगा अवनत वनभूमि पर
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप - प्रतिपूरक वृक्षारोपण (उरई) वन प्रभाग, जालौन में किया जायेगा अवनत वनभूमि पर
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि - जालौन सा0वा0 वन प्रभाग, उरई में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रजातियों का निर्धारण वही करेगा।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - निल-उपरोक्तानुसार

- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। - उपरोक्तानुसार जालौन सा0वा0 वन प्रभाग, उरई के द्वारा उपयुक्त है
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करे। - उपरोक्तानुसार जालौन सा0वा0 वन प्रभाग, उरई के द्वारा उपयुक्त है
- 12 विभाग/जिला प्रोफाईल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 5054 वर्ग किमी0
- (ii) जिले का वन क्षेत्र - 33422.920 है0
- (iii) मामलों की सं0 सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र - 13 (तेरह) क्षेत्रफल-188.23732 है0
- (iv) 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - 98.099 है0
- (ख) वनेतर भूमि पर -
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 94.03 है0
- (ख) वनेतर भूमि पर - 734.209 है0
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि - 20.09.2017

स्थान - झांसी

हस्ताक्षर :

(एस.एस. पाण्डेय)

नाम :

राजगीर वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी.

सरकारी मोहर: